न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
31/2024	24.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. नन्दा पुत्र श्री मगना, जाति गाडरी, आयु वयस्क निवासी अगरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

1. लादू पुत्र श्री मोडा, जाति गाडरी, आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सोनाथ पुत्र श्री मोडा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी अगरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. लाला पुत्र श्री भैरू, जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. हीरा पुत्र श्री बक्षु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. गुलाब पुत्र श्री गोकल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. देबी पुत्र श्री अमरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. पीरू पुत्र श्री मांगू जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. कृष्ण गोपाल पुत्र श्री कल्याणमल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी प्रताप टॉकीज के सामने पटवा गारमेन्टस के सामने भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा — –विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी विकास जायसवाल
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 234 की अभिलिखित आराजियात 1672, 1673 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस बाद तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 234 की अभिलिखित आराजियात 1672, 1673 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा